ऑनलाइन सिंगल विण्डो पोर्टल – *निवेश मित्र*

उद्यमियों को स्वीकृतियां प्रदान करने में आवेदनों को ऑनलाइन प्राप्त व प्रोसेसिंग करना हुआ अनिवार्य

मुख्य सचिव ने विभागों द्वारा उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी

- ***सिंगल विण्डो पोर्टल निवेश मित्र पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं के लिए उद्यमियों के ऑफलाइन आवेदनों एवं प्रोसेसिंग को कड़ाई से प्रतिबन्धित करने हेतु अविलम्ब शासनादेश जारी करेंगे विभाग***
- ***उद्यमियों को अपने कार्यालय बुलाने अथवा भौतिक रूप से हार्डकॉपी जमा करने के लिए कहने पर होगी दंडात्मक विभागीय कार्यवाही***

लखनऊ, 13 दिसम्बर, 2020 :

उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव, श्री आर. के. तिवारी ने सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों और प्रमुख सचिवों को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है कि उद्यम या औद्योगिक इकाइयों की स्थापना या संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए उद्यमियों के आवेदन बिना किसी अपवाद के केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएं।

कड़ी विभागीय और अनुशासनात्मक कार्यवाही की चेतावनी देते हुए, **मुख्य सचिव ने विभागों को निर्देश दिए हैं** कि वे सिंगल विण्डो पोर्टल, निवेश मित्र पर उपलब्ध ऑनलाइन सेवाओं के लिए उद्यमियों के आवेदनों की ऑफलाइन प्राप्ति पर पूर्ण प्रतिबन्ध हेतु अविलम्ब शासनादेश जारी करें।

उन्होंने कहा है कि पूर्व में जारी आदेशों के बाद भी ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ विभागों द्वारा या तो ऑफलाइन आवेदनों को स्वीकार किया जा रहा है या फिर निवेश मित्र पर प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की ऑफलाइन प्रोसेसिंग (कार्यवाही) के लिए उद्यमियों को आवश्यक दस्तावेजों की हार्डकॉपी कार्यालय में जमा करने और व्यक्तिगत रूप से विभागीय कार्यालयों आने के लिए विवश किया जा रहा है।

श्री तिवारी ने कहा है कि इस प्रकार का कार्य अस्वीकार्य है और उत्तर प्रदेश में व्यापार करने में आसानी (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस) में सुधार के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के विपरीत है।

इसलिए संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिवों या प्रमुख सचिवों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तीन महीने की स्टैब्लाइज़ेशन अवधि में छूट के साथ सिंगल विण्डो पोर्टल निवेश मित्र पर उपलब्ध कराई गई ऑनलाइन सेवाओं के लिए उद्यमियों के आवेदनों की ऑफलाइन प्राप्ति को कड़ाई से प्रतिबन्धित करने के लिए अविलम्ब शासनादेश जारी करें। स्टैब्लाइज़ेशन अवधि के बाद यदि अधिकारियों ने उद्यमियों को अपने कार्यालय में किसी भी दस्तावेज की हार्डकॉपी जमा करने या व्यक्तिगत रूप से कार्यालय आने के लिए कहा तो दंडात्मक विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

मुख्य सचिव ने अपर मुख्य सचिवों एवं प्रमुख सचिवों को निर्देश दिया है कि वे मासिक आधार पर इन निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा करें और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी अधिकारी के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करें। इसके अलावा विभागों को 31 दिसंबर, 2020 तक इस आशय से जारी किए गए शासनादेश की प्रति 'इन्वेस्ट यूपी' को उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।

ये निर्देश मुख्य सचिव द्वारा एक शासनादेश के माध्यम से विभिन्न संबंधित विभागों, जैसे– कृषि, राजस्व, राज्य कर, आबकारी, श्रम, स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन, बांट–माप, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, आवास एवं शहरी नियोजन, लोक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, नगर विकास, गृह, भूतत्व एवं खनिकर्म, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना एवं जनसंपर्क, नमामि गंगे और वित्त विभाग को जारी किए गए हैं।

अपर मुख्य सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास, श्री आलोक कुमार ने बताया कि राज्य में (ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस में सुधार के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में फरवरी 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा शुभारम्भ करने के बाद से अब तक सिंगल विण्डो पोर्टल – निवेश मित्र के माध्यम से निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर दो लाख से अधिक (2,35,492) स्वीकृतयां जारी की गई हैं। वर्तमान में निवेश मित्र के माध्यम से 24 विभागों की 170 ऑनलाइन सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

———————